173

अत्यावश्यक

पत्रांक 2582 /

बिहार सरकार

आपदा प्रबंधन विभाग

प्रेषक,

व्यास जी,
प्रधान सचिव

सेवा में,

सभी प्रमंडलीय आयुक्त
सभी जिला पदाधिकारी

पटना, दिनांक– 5/8/11

विषयः– राज्य शताब्दी अन्न कलश योजना के कार्यान्वयन हेतु आवश्यक तैयारियों के संबंध में।

महाशय,

राज्य में रहने वाले निर्धन, बूढ़े,शिथिलांग, विधवा, निराश्रित तथा अन्य कमजोर वर्गों के लोगों के बीच भूखमरी की घटनाओं का रोकथाम करने तथा समाज के कमजोर वर्गों को भूखमरी की स्थिति में खाद्यान्न की आसान पहुंच सुनिश्चित करने हेतु राज्य सरकार द्वारा शताब्दी अन्न कलश योजना के नाम से एक नई योजना स्वीकृत की गयी है। तत्संबंधी शताब्दी अन्न कलश योजना नियमावली, 2011 तथा इस कार्यालय द्वारा योजना के कार्यान्वयन हेतु निर्गत संकल्प की 2–2 प्रतियाँ इस पत्र के साथ संलग्न की जा रही है।

2. इस योजना के मुख्य प्रावधान निम्न प्रकार हैं:–

(i) इस योजना के अन्तर्गत राज्य स्तर पर राज्य शताब्दी अन्न कलश निधि एवं सभी जिला में जिला शताब्दी अन्न कलश निधि नाम से कोष का गठन किया जायेगा, जिसमें से कमजोर/आधतयोग्य वर्गों को दिये जाने वाले खाद्यान्न का भुगतान किया जायेगा। राज्य सरकार द्वारा इस योजना के अधीन आवंटित सभी राशि इस निधि में रखी जाएगी। इस निधि में आम जनता को भी नगद अंशदान करने के लिए प्रोत्साहित किया जायेगा।

(ii) राज्य एवं जिला निधि के लेखा का संधरण कमशः आपदा प्रबंधन विभाग एवं संबंधित जिला पदाधिकारियों के द्वारा किया जाएगा। इस निधि/कोष का वार्षिक अंकेक्षण, वित्त विभाग के अंकेक्षण शाखा द्वारा किया जाएगा।

(iii) ग्रामीण क्षेत्रों में मुखिया, ग्राम पंचायत के वार्ड सदस्य तथा अन्य पंचायत स्तरीय कर्मियों तथा नगरीय क्षेत्रों में संबंधित वार्ड पार्षदों का यह कर्त्तव्य होगा कि वे यथाशक्ति अपने क्षेत्राधिकार में निवास कर रहे निर्धन, बूढ़े, कमजोर, विधवा,निराश्रित तथा अन्य कमजोर वर्गों/परिवारों को खाना उपलब्ध हो रहा है अथवा नहीं, इस पर नजर रखें। वे ऐसे परिवारों, जो संसाधन विहीन हो तथा जिनके पास आजीविका को कोई साधन न हो या जो, परिस्थितियों के दबाब से, स्थायी या अस्थायी रूप से आजीविका कमाने में अक्षम हो